

समाहरणालय, दरभंगा।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

अधिघोषणा

(अधिनियम-30 / 2013 की धारा-19(1) के अधीन)

संख्या.....539...../ भू-अ०,

दिनांक.....31/8/19.....

चूँकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना- हनुमाननगर प्रखंड अन्तर्गत वागमती नदी के पंचफूटिया घाट पर आर०सी०सी० पुल हेतु मौजा-बिलासपुर हेतु ग्राम-विलासपुर, थाना-हायाघाट, थाना नं०-207, अंचल-हनुमाननगर, जिला-दरभंगा कुल-0.82 एकड़ यानि-0.332 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश-0.82 एकड़ यानि-0.332 हेक्टेयर है और जो ग्राम-विलासपुर, थाना-हायाघाट, थाना संख्या-207, अंचल-हनुमाननगर, जिला-दरभंगा में है, जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	128	5234	रैयती	भीठ 2	0.03	अब्दुल हक वो वसीदुल हक पिता-रज्जाक	युसुफ	नदी		
2	128	5234	रैयती	भीठ 2	0.03	ओवैद वगैरह, पिता-उसमान शेख सराय हमीद	युसुफ	नदी		
3	128	5272	रैयती	भीठ 2	0.02	अब्दुल हक वो वसीउल हक, पिता-रज्जाक सा०-सरायहमीद	नदी	सीमाने खरसर		
4	128	5272	रैयती	भीठ 2	0.02	ओवैद पिता-उसमान वगैरह	नदी	सीमाने खरसर		
5	2756	5273	रैयती	भीठ 2	0.015	आफताव वगैरह, पिता-अब्दुल वदुद, सा०-सरायहमीद	नदी	सीमाने खरसर		
6	2756	5273	रैयती	भीठ 2	0.015	इसमाईल पिता-रईफ शेख, सा०-सरायहमीद	नदी	सीमाने खरसर		
7	2796	5270	रैयती	भीठ 2	0.35	तसलीम, पिता-हकीम वो रहीम, पिता-सलीम	नदी	सीमाने खरसर		
8	1887	5155 5271	रैयती	भीठ 2	0.065	आले वल्द कासीम सा०-विलासपुर	नीज नदी	रास्ता खरसर		
9	1887	5155 5271	रैयती	भीठ 2	0.065	आजम पिता-युसुफ	नीज नदी	रास्ता खरसर		
10	1887	5155 5271	रैयती	भीठ 2	0.065	खालीक वल्द सदीक	नीज नदी	रास्ता खरसर		
11	1887	5155 5271	रैयती	भीठ 2	0.065	आरीफ वो कासीम वल्द रज्जाक	नीज नदी	रास्ता खरसर		

12	1887	5155 5271	रैयती	भीठ 2	0.065	दुलारे पिता-कासीम वो अफरोज पिता-जमील	नीज नदी	रास्ता खरसर		
13	441	5153	रैयती	भीठ 2	0.015	अब्दुल कैयुम वो मंजूर वो इजहर, पिता-हसमत शेख	नीज	सड़क		
				कुल	0.82					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित किये गये हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :- ग्राम-विलासपुर, थाना-हायाघाट, थाना नं0-207, अंचल-हनुमाननगर, जिला-दरभंगा कुल-0.82 एकड़ यानि-0.332 हेक्टेयर

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :-
सर्वेक्षण के क्रम में अर्जनाधीन खेसराओं में संरचना शून्य पाया गया ।

४०!—
स मा ह र्ता
—सह—
समुचित सरकार

ज्ञापांक ५३५ / भू-अ0, दिनांक २१/१/१९

- प्रतिलिपि :-** अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा में प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।
- प्रतिलिपि :-** अंचला अधिकारी, हनुमाननगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि भूमि अर्जनाधीन मौजा के तहसील कार्यालयों एवं ग्रामों में प्रकाशन कराकर कृत कार्रवाई सम्बन्धी प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।
- प्रतिलिपि :-** जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिला समाहर्ता, दरभंगा के वेबसाईट पर अपलोड कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।
- प्रतिलिपि :-** जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** वरीय परियोजना अभियंता, बि0रा0पु0नि0नि0लि0, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-** निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि भू-अर्जन के वेबसाईट पर अपलोड कराने एवं स्थानीय भाषा में दो दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

स मा ह र्ता
—सह—
समुचित सरकार